भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/ 51 । दिनांक : 17/6/2016

कार्यालय आदेश

जयपुर जिले में 1000 ऑटो रिक्शा पर विनायल स्टीकर चिपकाकर प्रचार प्रसार करने संबंधी दिनांक 30–5–2016 को पत्रांक 1185 से जारी टैडर की प्री–बिड बैठक दिनांक 8 जून 2016 को दोपहर 3 बजे मिशन निदेशक कांफ्रेस हॉल में आहूत की गई जिसके उपरांत उपस्थित निविदादाताओ द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते है

1. 1000 ऑटो–रिक्शा मे से अगर कुछ ऑटो–रिक्शा के बैक पर विनायल स्टीकर चिपकाने के लिये जगह नही मिलती है तो उन ऑटो–रिक्शा पर बैक की बजाय किसी भी एक साइड पर विनायल स्टीकर लगवाने की अनुमति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा दी जा सकती है। फर्म इस हेतु प्रस्ताव 15 दिन पहले प्रस्तुत करेगी।
2. सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओ का निरीक्षण औचक होगा और उसकी सूचना पहले से फर्म को दिया जाना संभव नही है।
3. दिये गए कार्य की कॉस चैकिंग मासिक आधार पर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के निर्देशानुसार की जायेगी। जिस महीने के निरीक्षण में सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा किये गए कार्य में लापरवाही पाई जाती है, उस महीने के भुगतान में से नियमानुसार कटौती की जायेगी हालांकि निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कटौती कितने महीने या दिन की जानी है यह अधिकार अंतिम रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के पास रक्षित रहेगा।
4. सेवाप्रदाता को भुगतान द्वैमासिक आधार पर उसके द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर किया जायेगा।

(नवीन जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी

प्रतिलिपि–

1. संबंधित कमेटी सदस्य,
2. सर्वर प्रभारी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी